

DO NOT fall prey to fictitious offers of lottery, money circulation schemes or any cheap funds...

Dear Customer,

RBI has issued several advisories cautioning the public not to fall prey to participation in lottery or lottery like schemes, money circulation schemes.

Members of the public have been further cautioned against making any remittance towards participation in offers from unknown entities since such remittances are illegal and any person resident in India collecting and effecting/remitting such payments directly/indirectly outside India would be liable to be proceeded against for contravention of the Foreign Exchange Management Act, 1999. Entities including individuals who are involved in making such payments are liable for violation of regulations relating to Know Your Customer (KYC) norms/Anti Money Laundering (AML) standards.

RBI has further stated that it does not take responsibility in recovering funds sent abroad under any such fraudulent schemes.

The general modus operandi of such schemes is as follows:-

- Fraudsters send attractive offers to members of the public through letters, e-mails, SMS etc.
- These offers are communicated on letterheads or websites that appear to be of public authorities like the Reserve Bank of India. The letters are signed by top executives/senior officials but only the names of these officials are correct and the signatures are false.
- The offer may also contain the contact details of the so-called RBI officials.
- The victims of the fraud are gullible people who are asked to deposit amounts of money in accounts with banks in India under different heads, such as processing fee/transaction fee/tax clearance charge/conversion charge, clearing fee, etc., and amounts so deposited are withdrawn by the fraudsters immediately.
- The fraudsters often have multiple accounts in the name of individuals or proprietary concerns in different bank branches for collecting such amounts.
- Many victims of such offers have lost huge sums of money.

Customers may also refer to the cautionary advice hosted on our website (www.kotak.com) in the 'Customer Corner' section.

Warm regards,

Kotak Mahindra Bank

लॉटरी, पैसे लगाने की योजनाओं या अन्य सस्ते फंड्स के झूठे ऑफर्स का शिकार न बनें...

प्रिय ग्राहक,

आरबीआई ने आम जनता को लॉटरी या लॉटरी जैसी योजनाओं, पैसे लगाने की योजनाओं का शिकार बनने से सुरक्षित रखने के लिये कई सलाह सेवाएँ जारी की हैं।

आम जनता को अज्ञात संगठनों के ऑफर्स में हिस्सा लेने के लिये पैसे न भेजने की भी चेतावनी दी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के लेन-देन गैरकानूनी होते हैं और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के भुगतान भारत के बाहर भेजने की व्यवस्था करने/भेजने वाले किसी भी व्यक्ति पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, 1999 के उल्लंघन के लिये कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार के भुगतान करने में शामिल लोगों समेत सभी संगठन नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियम/हवाला विरोधी (एएमएल) स्तरों के उल्लंघन के लिये ज़िम्मेदार होंगे।

आरबीआई ने यह भी कहा है कि वह इस प्रकार की छलपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत विदेश भेजे गये पैसे को वापस लाने के लिये ज़िम्मेदार नहीं होगा।

इस प्रकार की योजनाओं के काम करने का सामान्य तरीका इस प्रकार का होता है:-

- ठग पत्रों, ई-मेल, एसएमएस इत्यादि द्वारा आम जनता के सदस्यों को आकर्षक ऑफर्स भेजते हैं।
- ये ऑफर्स ऐसे लेटरहेड्स या वेबसाइट्स के माध्यम से प्रसारित किये जाते हैं, जो देखने में भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के लगते हैं। इन पत्रों पर मुख्याधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन सिर्फ इन अधिकारियों के नाम सही होते हैं, और हस्ताक्षर जाली होते हैं।
- इस प्रस्ताव में तथाकथित आरबीआई अधिकारियों के संपर्क विवरण भी शामिल हो सकते हैं।
- मासूम लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें प्रोसेसिंग शुल्क/ विनिमय शुल्क/कर मुक्ति शुल्क / रूपांतरण शुल्क, निपटान शुल्क जैसे विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भारत के अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिये कहा जाता है, और इन जमा की गयी राशियों को जालसाज़ तुरंत निकाल लेते हैं।
- ठगों के अक्सर व्यक्तिगत नाम पर कई खाते होते हैं या वे अलग-अलग बैंकों में इस प्रकार की राशियाँ निकालने का मालिकाना अधिकार रखते हैं।
- ऐसे ऑफर्स का शिकार होने वाले कई लोगों ने बड़ी रकम गँवाई है।

ग्राहक हमारी वेबसाइट (www.kotak.com) के 'कस्टमर कॉर्नर' खंड में दी गयी चेतावनी को भी पढ़ सकते हैं।

शुभकामनाएँ,

कोटक महिन्द्रा बैंक

लटारी, धन प्रचलन आँचनि वा कोनो सङ्गीया फाणुब काल्पनिक अफाबर चिकार नह'ब...

प्रिय ग्राहक,

आँचनि, धन प्रचलन आँचनि दरे लटारी वा लटारीत अंशग्रहण करि ताब चिकारब बलि नह'बलै जनसाधारणक केईवाटाउ उपदेश जाबि करब जरियते सकियाई दिछे ।

जनसाधारणक सदस्यसकल सकियाई दियाई हेछे ये कोनो अज्ञात सत्ताब परा अफाबरत अंशग्रहण दिशत कोनो धरणब रेमिटेन्स याते ग्रहण नकरे, कारण एने रेमिटेन्स अर्बेध आब ताबतत बास करब यिकोना ब्यक्ति ये ताबतत बाहिबत प्रत्यक्ष / परास्फुडारे एने पेमेन्ट संग्रह आब प्रभावित / रेमिटिंग करिले ताब बिक्रमे 1999 चनब विदेशी विनिमय ब्यवस्थापना आइने उलंघा गोचर चलैरा ह'ब । एने धन परिशोध करब सैते जड़ित ब्यक्तिके धरि सत्तासमूह आपोनाब ग्राहकक जना (के राई चि) नीतिसमूह / एन्टि मानि लण्ठाबिं (ए एम एल) मानदण्ड सैते जड़ित नियमसमूह उलंघा करब बावे दायबद्ध ह'ब ।

आब बि आईये आब उल्लेख करिछे ये एने कोनो प्ररक्षनामूलक आँचनिब अधीनत बहिःराज्यलै प्रेषण करब धन आदायब स्फ़ेदत तेउँलोकै दायिद्व लोरा नाई ।

एने आँचनिब साधारण मोडाह अ'पारैण्डि तलत दिया धरणब :-

- प्ररक्षकके चिटि, ई-मेल, एच एम एच आदिब जरियते जनसाधारणक सदस्यलै आकर्षणीय अफाब प्रेषण करे ।
- एह अफाबरसमूह भारतीय रिजर्व बैंकब दरे राजह्वरा कर्तृपक्षब येन लगा लेटारहेड वा रेबचाईटत योगायोग करब ह्य । चिटिसमूहत शीर्ष कार्यवाही / जेठ विषयाब स्वाक्षर आछे यदि एह विषयासकलब नामहे शुद्ध आब स्वाक्षरबोब मिछा ह्य ।
- अफाबरटौत तथाकथित चि बि आई-ब विषयासकलब योगायोगब तथ्यो थाकिब पाबे ।
- प्ररक्षनाब बलि होरा लोकसकल हेछे तोला मनब मानुह यिसकलक बेकब एकाउन्टत बिभिन्न मूरब अधीनत धनब परिमाण जमा दिबलै कोरा ह्य, येने प्रचेछिं माचुल / लेनदेन माचुल / कर क्लियरेंस माचुल / कनडाजन चार्ज, क्लियरिं माचुल आदि आब तेनेकुब जमा करब परिमाणबोब धन प्ररक्षकके तंङ्गणात उलियाय ।
- प्ररक्षक सकलब एने धनसंग्रहब बावे प्राये बिभिन्न बेक शंथात ब्यक्तिब नामत वा मालिकाधीन हिचावे एकाधिक एकाउन्ट थाके ।
- एने अफाबरब बलि होरा लोकै बृहं परिमाणब धन हेकराईछे ।

ग्राहक आमारे रेबचाईट (www.kotak.com) त 'काष्ट'मार कर्णार' अंशत ह'ष्ट करब परामर्शसमूहो चाब पाबे ।

आन्तरिक शुद्धेछा,

कोटाक महिन्द्रा बेक